महेश ग्रोवर और महाबीर सिंह सिंधु से पहले, जे.जे .

विशाल- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी सीडब्ल्यूपी नं। 2018 की 21431

अगस्त 27, 2018

भारत का संविधान ***, 1950-कला*** (ख) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 - धारा ***226 और 227 - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 - कासा 175*** और 176-हयाना ***पंचायती राज नियम, 1994-आरएलएस 26, 27 और फॉर्म 4-ए और 4-बी-आपराधिक*** मामले ***की लंबितता*** को ***छिपाना-सरपंच के रूप में*** चुनाव ***को रद्द करना***।

आयोजित, कि ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि:

a. नियम 26 (4) और 27 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ फॉर्म-4ए में आपराधिक शिकायत के लंबित होने के संबंध में पूरी जानकारी का खुलासा करना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इसे क्लॉज 5 (ii) के तहत छिपाया गया था। फॉर्म-4-ए जिसमें उनके नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले ही सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका था।

b. 'नहीं' और फॉर्म 4-ए के खंड 5 (ii), भाग-बी को जानबूझकर 'रिक्त' के रूप में छोड़ दिया ।

c. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किया और धारा 176 (4) (एए) (iii) के प्रावधानों के मद्देनजर उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसे अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था।

d. विद्वान सिविल कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया है।

(पैरा 20)

याचिकाकर्ता *के वकील* पंकज मैनी।

महाबीर सिंह सिंधू, जे.

(1) याचिकाकर्ता, ग्राम गोंध के *पूर्व सीट* सरपंच ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसमें 13.08.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द करने के लिए

गुहला ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षिप्त 'अधिनियम') की धारा 175 और 176 के तहत प्रतिवादी संख्या 4- बीरेंद्र सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया

गया है। वर्तमान याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका में प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में शामिल किया गया था।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 4 ग्राम अगोंध, तहसील गुहला, जिला-कैथल में पंजीकृत मतदाता हैं । हरियाणा राज्य में पंचायत चुनाव।

(3) प्रतिवादी नंबर 4 ने धारा 323, 324 , 325, 326, 307, 506 और 34 आईपीसी के तहत एक आपराधिक शिकायत के लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती दी, पीएस असंध ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, असंध (के लिए) की अदालत में जेएमआईसी) को संक्षिप्त किया गया और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके नामांकन पत्र की अवैध स्वीकृति ।

(4) आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता को अन्य तीन सह-अभियुक्तों के साथ विद्वान जेएमआईसी द्वारा आईपीसी की धारा 323, 324, 325, 326, 341, 506 के तहत धारा 323, 324, 325, 326, 341, 506 के तहत बुलाया गया है और उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा जमानत दी गई थी, इसलिए, वे मामले के लंबित रहने के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपराधिक शिकायत।

(5) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता उपरोक्त आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य था और उसे नियम 26 और 27 के तहत निर्धारित फॉर्म 4-ए और 4-बी के संदर्भ में

अपने नामांकन पत्र के साथ एक हलफनामे के माध्यम से एक सच्ची घोषणा करनी चाहिए थी हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 (संक्षिप्त नियम के लिए) की धारा 10 यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि नामांकन पत्र की जांच के दौरान, उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई और याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को उनके बीच मिलीभगत के कारण पूरी तरह से अवैध और मनमाने तरीके से स्वीकार किया गया ।

(6) नोटिस पर, याचिकाकर्ता ने जवाब दायर किया और प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं, जिसमें रखरखाव, लोकस-स्टैंडी, आवश्यक पक्षों की गैर-जॉइंडर और मिस-जॉइंडर, भौतिक तथ्यों को दबाने और सत्यापन की कमी शामिल है। गुण-दोष के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई छिपाव नहीं है; बल्कि तथ्य के रूप में, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 324, 341, 506 के तहत दिनांक 14-08-2010 की एफआईआर सं 444, दिनांक 14-08-2010 को दर्ज की गई है । असंध, जिला करनाल के खिलाफ अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक अन्य सह-अभियुक्त के खिलाफ ग्राम राजौंद के गांव राजौंद निवासी लाभ सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के बाद, एफआईआर में आरोप पाए गए गलत हो और परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि हालांकि जितेंद्र कुमार ने अन्य सह आरोपियों

के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दायर की थी और जिसमें सम्मन आदेश पारित किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है और उन्हें बरी किए जाने की संभावना है। फिर से प्रस्तुत किया गया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप (ओं) को तैयार नहीं किया गया था और इस तरह केवल शिकायत दर्ज करने से उसे पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाता है ।सरपंच।

(7) पक्षकारों की दलीलों के आधार पर एलडी द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे। सिविल न्यायालय:-

1. क्या ग्राम आगोंध के सरपंच के पद के लिए नामांकन पत्र अनुचित, अवैध, गैरकानूनी और नियमों के अनुसार नहीं हैं और अस्वीकार किए जाने योग्य हैं? विरोधी।।

2. क्या गांव गोंध के सरपंच के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 का चुनाव रद्द किया जा सकता है? विरोधी।

3. क्या वर्तमान चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है? ओपीआर

4. क्या याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार और कार्रवाई का कारण नहीं है ? ओपीआर

5. क्या याचिका आवश्यक पक्षों के गैर-जॉइंडर और मिस-जॉइंडर के लिए खराब है ? ओपीआर

6. क्या याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से अदालत में नहीं आया है और अदालत से सच्चे और भौतिक तथ्यों को छिपाया है ? ओपीआर

7. मदद।

(8) प्रतिवादी नंबर 4 ने अपने मामले को साबित करने के लिए खुद को PW-1, सुभाष चंद पटवारी – PW2 और सुरिंदर कुमार, रिकॉर्ड कीपर को PW3 के रूप में जांचा और रिकॉर्ड पर निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए : -

मैं। पूर्व PW2/A नामांकन प्रदर्शन की प्रति ii.Ex PW2/B

नामांकन फॉर्म

iii. Ex.PW2/C फॉर्म-4A

iv. पूर्व.PW2/D फॉर्म-4B

v. Ex.PW2/E शपथ पत्र

vi. पूर्व। PW2/F शपथ पत्र

vii. पूर्व। PW2/G शपथ पत्र

viii. पूर्व। PW2/H

फॉर्म-4B

ix. EXPW3/शिकायत की एक

प्रति x.EX. पीडब्लू 3/बी आदेश दिनांक

24.02.2015

xi. Ex.P1 आदेश दिनांक 09.09.2016

xii. Ex.P2 आदेश दिनांक 26.08.2016

xiii. Ex.P3 आदेश दिनांक 19.01.2016

xiv. Ex.P4 आदेश दिनांक 10.04.2015

xv. Ex.P5 जमानत आवेदन की प्रति

(9) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने खुद को आरडब्ल्यू -1 के रूप में जांचा और दस्तावेजी साक्ष्य यानी आरोप पत्र दिनांक 19.01.2016 (एक्स.आरए), आदेश दिनांक 09.09.2016 (एक्स.आरबी) और जितेंद्र का बयान दिनांक 09.09.2016 (एक्स.आरसी) पेश किया।

(10) सिविल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 1 और 2 का फैसला करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नामांकन पत्र; ग्राम गोंध के सरपंच के कार्यालय के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया नामांकन पत्र अनुचित, अवैध और गैरकानूनी है क्योंकि उसने आपराधिक मामले के लंबित रहने के संबंध में सही और भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और छिपाया उसके खिलाफ और इस प्रकार उसका नामांकन खारिज कर दिया जा सकता है। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता का चुनाव रद्द करने योग्य है।

(11) याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दे संख्या 3 से 5 का फैसला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि न तो कोई सबूत पेश किया गया था; न ही उसकी ओर से कोई तर्क दिया गया था। अंततः, प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई और सरपंच के कार्यालय के लिए याचिकाकर्ता के चुनाव को अलग कर दिया गया।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि केवल आपराधिक मामले का लंबित होना अधिनियम की धारा 176 के तहत याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने का आधार नहीं है, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उसके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किए गए थे। उनके तर्क के समर्थन में, ***कृष्णा मूर्ति*** बनाम ***शिव कुमार और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है [1] और साथ ही इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को ***सुखदेव सिंह*** *बनाम* ***मुख्तियार सिंह व अन्य***[2].

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना, और पेपर-बुक का अवलोकन किया।

(14) मामले पर आगे बढ़ने से पहले, अधिनियम की धारा 176 के प्रासंगिक भाग को निकालना आवश्यक है और जो निम्नानुसार है: -

> **"176. न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन जांच की विधिमान्यता का अवधारण, और प्रक्रिया।**

(1) यदि किसी ..... के किसी चुनाव की वैधता

ग्राम पंचायत के सरपंच..... चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित है, ऐसा व्यक्ति किसी भी समय चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर कर सकता है, ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए उस क्षेत्र में साधारण क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करें, जिसके भीतर चुनाव हुआ है या होना चाहिए था ।

(2) .....

(3) .....

4 (क) .....

(क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय पाता है कि :- (i)

.....

(द्वितीय) .....

(iii) चुनाव का परिणाम, __ अब तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार से संबंधित है, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी एजेंट द्वारा या अनुचित द्वारा किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति

या किसी भी भ्रष्ट आचरण से प्रभावित हुआ है किसी मत का अभिग्रहण, अस्वीकृति या अस्वीकृति या किसी ऐसे मत का ग्रहण जो शून्य है या भारत के संविधान या इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के द्वारा, ऐसे लौटे उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है।

(ख) .....

(5) .....

धारा 176 (4) (एए) (iii) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को रद्द किया जा सकता है यदि वह किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या अधिनियम, नियम (ओं) या आदेश (ओं) के गैर-अनुपालन या उल्लंघन से प्रभावित हुआ है ।

(15) फिर भी नियम 26 और 27 का प्रासंगिक हिस्सा फॉर्म 4-ए और फॉर्म 4-बी के साथ विवाद में मामले के उचित निर्णय के लिए सामग्री होने के कारण निम्नानुसार भी निकाला गया है: -

"**26. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन**-- (1) .....

(2) ....

(3) रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी मतदाता को फॉर्म-4ए और फॉर्म 4-बी के साथ नामांकन पत्र की आपूर्ति की जाएगी ।

(4) उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म 4-ए और फॉर्म 4-बी में पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

बशर्ते .....

बशर्ते कि पंच और ग्राम पंचायत के सरपंच की सीट का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को एक सादे कागज पर जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

"27. **नामनिर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण--नियम** 24 के खंड (क) के अधीन नियत तारीख को या उससे पूर्व, प्रत्येक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को उस प्रयोजन के लिए इस प्रकार प्राधिकृत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को उस समय के दौरान और विनिर्दिष्ट स्थान पर सुपुर्द करेगा। नियम 24 के तहत दिया गया नोटिस, फॉर्म 4 , फॉर्म 4-ए और फॉर्म 4-बी में विधिवत भरा हुआ नामांकन पत्र और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित।

"फॉर्म 4-ए

(देखिये नियम 26(3) और 27)

चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा दायर किया जाने वाला हलफनामा (ग्राम पंचायत ...... का नाम), ब्लॉक।................, जिला।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

भाग-क

मैं।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।.................... का बेटा वृद्ध वर्ष, निवासी (पूर्ण डाक पते का उल्लेख करें), उपरोक्त चुनाव में एक उम्मीदवार, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करें और निम्नानुसार शपथ लें:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. मैं किसी ऐसे अपराध का आरोपी नहीं हूं/हूं जो लंबित मामले (मामलों) में छह महीने या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो/जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप तय किए गए हों/किए गए हों।यदि _ प्रतिवादी पर ऐसे किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो वह निम्नलिखित जानकारी

<u>प्रस्तुत करेगा</u>: -

(i) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा छह माह या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए हैं:-

(क)	एक मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या /संख्या साथ में संबंधित पुलिस स्टेशन/जिला राज्य का पूरा विवरण शामिल है।	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (ओं) की धारा (ओं) और अपराध (ओं) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए आवेशित	नहीं
(ग)	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और और संज्ञान लेने वाले आदेश की तारीख ।	नहीं
(घ)	न्यायालय (ओं) जिसने आरोप (ओं) को तैयार किया	नहीं
(ङ)	तारीखें जिन पर आरोप तय किए गए थे /किए गए थे	नहीं
(च)	चाहे सभी या किसी भी कार्यवाही (ओं) में हो सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा रोक लगा दी गई है	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे खिलाफ लंबित हैं जिनमें अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा): -

(क)	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और और आदेश लेने की तारीख /	नहीं
(ख)	उन मामलों का विवरण जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है , अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (ओं) और अपराध (अपराधों) का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया	नहीं
(ग)	के लिए अपील (ओं) / आवेदन (ओं) का विवरण उपरोक्त आदेश (ओं) के खिलाफ दायर संशोधन (यदि कोई हो)	नहीं

6. .....

7 .....

8. .....

9. .....

10. .....

पार्ट -B

11. <u>भाग-क</u> के (1) <u>से (10) में दिए गए विवरणों का सार</u>:

1	उम्मीदवार का नाम	
2	पूरा डाक पता	

3	.....	
4	.....	
5	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहांन्यायालय द्वारा कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं छह महीने	
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित मामले।	
6	.....	
7	.....	
8	.....	
9	.....	
10	.....	
11	.....	

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नाम, एतद्द्वारा सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस हलफनामे की सामग्री मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और वहां से कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:-

(क) भाग क और उपर्युक्त की मद संख्या 5 और 6 में उल्लिखित मामलों के अलावा मेरे विरुद्ध दोषसिद्धि अथवा लंबित मामले का कोई मामला नहीं है।

(ख) .....

पर सत्यापित..... यह .....

का दिन

.....

प्रतिपादक

नोट: 1. .....

नोट: 2. .....

नोट: 3. .....

नोट: 4. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाना चाहिए।यदि किसी भी आइटम के संबंध में प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो "शून्य" या "लागू नहीं", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

नोट: 5. शपथ पत्र/घोषणा या तो टाइप की जानी चाहिए या स्पष्ट रूप से और बड़े करीने से लिखी जानी चाहिए।

(16) नियम 26(4) और 27 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार के लिए यह दायित्व है और अनिवार्य रूप से उसे लंबित मामलों के संबंध में नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष फॉर्म-4-ए और 4-बी में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय आपराधिक मामलों, जो दो अलग-अलग चरणों में लंबित हैं अर्थात (i) जिसमें आरोप (ओं) को फंसाया गया है;

(ii) मामला (ओं) जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

(17) इसलिए, दोनों कॉलम यानी खंड 5 (i) और 5 (ii) को जानबूझकर दोनों चरणों में एक उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले (मामलों) को कवर करने के लिए शामिल किया

गया है ताकि मतदाता (ओं) को उसके पूर्ववृत्त के बारे में पता चल सके और वास्तव में यही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य में पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले से निपटने के दौरान कृष्ण मूर्ति के मामले (सुप्रा) में आयोजित किया है और प्रासंगिक होने वाले निर्णय के पैरा 94.4 और 94.5 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है : -

> "**94.4. चूंकि उम्मीदवार को लंबित मामलों** का विशेष ज्ञान है जहां संज्ञान लिया गया है या आरोप तय किए गए हैं और उसकी ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है, यह अनुचित प्रभाव होगा और इसलिए, चुनाव को ट्रिब्यूनल के तहत चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा शून्य और शून्य घोषित किया जाना है 1951 अधिनियम की धारा 100 (1) (बी)।
>
> **94.5** यह प्रश्न कि क्या यह चुनाव को भौतिक रूप से प्रभावित करता है या नहीं , इस प्रकृति के मामले में नहीं उठेगा।

(18) याचिकाकर्ता द्वारा दायर नामांकन पत्र (पी 5) के आगे अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नियम 26 (4) और 27 के प्रावधानों का पालन करने के बजाय, उसने फॉर्म 4-ए के खंड 5 (ii) (भाग-ए) के तहत गलत और झूठी जानकारी प्रस्तुत की और साथ ही फॉर्म -4-ए के कॉलम 5 (ii) (भाग-बी) को 'रिक्त' के रूप में छोड़ दिया और उसी प्रासंगिक को प्रमाणित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत फॉर्म 4-ए का हिस्सा निम्नानुसार निकाला गया है: -

फॉर्म 4-ए (भाग-ए)

> "5. मैं किसी भी ऐसे अपराध का आरोपी नहीं हूं/हूं जो लंबित मामलों में छह महीने या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो, जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हों । यदि प्रतिवादी पर ऐसे किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: -
>
> (i) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा छह माह या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए हैं:-

(क)	एक मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं /सं. साथ में संबंधित का पूरा विवरण	नहीं

	पुलिस स्टेशन/जिला राज्य।	
(ख)	संबंधित अधिनियम (ओं) की धारा (ओं) और अपराध (ओं) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए आवेशित	नहीं
(ग)	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और और संज्ञान लेने वाले आदेश की तारीख ।	नहीं
(घ)	न्यायालय (ओं) जिसने आरोप (ओं) को तैयार किया	नहीं
(ङ)	तारीखें जिन पर आरोप तय किए गए थे /किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या किसी भी कार्यवाही (ओं) को सक्षम न्यायालय (ओं) द्वारा रोक दिया गया है अधिकार-क्षेत्र	नहीं

(i) निम्नलिखित मामले मेरे खिलाफ लंबित हैं जिनमें अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा): -

(क)	(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और और आदेश लेने की तारीख /	नहीं
(ख)	उन मामलों का विवरण जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (ओं)	नहीं

	और अपराधों का विवरण जिनके लिए संज्ञान लिया गया	
(ग)	के लिए अपील (ओं) / आवेदन (ओं) का विवरण उपरोक्त आदेश (ओं) के खिलाफ दायर संशोधन (यदि कोई हो)	नहीं

भाग-B

5	(मैं) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं छह महीने या उससे अधिक	नहीं
(ख)	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय (ओं) ने संज्ञान लिया है (उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा ।	नहीं

खंड 5 (ii) भाग-ए, फॉर्म 4-ए, ऊपर निकाला गया है कि याचिकाकर्ता ने 'नहीं' के रूप में जवाब देते / लिखते समय गलत जानकारी प्रदान की। पुन खण्ड 5(ii), भाग-ख के अधीन फॉर्म-4-ए के कॉलम में उन्होंने कॉलम को खाली छोड़ दिया , जिसे उन्हें कहना चाहिए था कि फॉर्म 4-ए के तहत संलग्न नोट-4 के अनुरूप भरें और यहां तक कि रिटर्निंग ऑफिसर भी इस बात पर जोर देने में विफल रहे कि सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और किसी को भी खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

(19) यह तर्क कि नामांकन दाखिल करते समय याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए थे/किए गए थे, खंड 5 (i) के प्रावधान से बचने का मार्ग हो सकता है, लेकिन वह खंड 5 (ii) की

कठोरता से बाहर नहीं निकल सकता है जो लंबित मामले (मामलों) को कवर करता है जिसमें संज्ञान लिया गया है सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय जेएमआईसी द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है । यहां तक कि उन्होंने न तो विद्वान सिविल न्यायालय के समक्ष कोई दलील उठाई है ; न ही इस न्यायालय के समक्ष विवाद किया है या आग्रह किया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को आपराधिक शिकायत में संज्ञान नहीं लिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता आपराधिक शिकायत की लंबितता का खुलासा करने के लिए बाध्य था जिसमें उसके खिलाफ पहले ही संज्ञान लिया जा चुका था, लेकिन इसके बजाय उसने यह लिखते हुए गलत और झूठी जानकारी दी कि उसके खिलाफ 'नहीं' मामला लंबित है । इतना ही नहीं, बल्कि क्लॉज 5 (ii), पार्ट-बी (फॉर्म 4- ए) के तहत उन्होंने कॉलम को जानबूझकर खाली छोड़ दिया, जिसे उन्हें किसी भी तरह से भरना था।

(20) ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि: -

क. नियम 26(4) और 27 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ फॉर्म-4ए में आपराधिक शिकायत के लंबित रहने के संबंध में पूरी जानकारी का खुलासा करना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे क्लॉज 5 (ii) के तहत छुपाया फॉर्म-4-ए जिसमें उनके नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख से पहले ही सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका था । यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि याचिकाकर्ता ने 'नहीं' लिखते समय फॉर्म 4-ए के खंड 5 (ii), भाग- ए में गलत जानकारी प्रस्तुत की और फॉर्म 4-ए के खंड 5 (ii), भाग-बी को जानबूझकर 'रिक्त' के रूप में छोड़ दिया ।

ग . याचिकाकर्ता ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किया और धारा 176 (4) (एए) (iii) के प्रावधानों के मद्देनजर उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसे अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था।

(घ) विद्वान सिविल न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द कर दिया है।

(21) इस आदेश के पैरा 18 में की गई चर्चा के मद्देनजर, कृष्ण मूर्ति के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय , जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, उसके मामले के लिए सहायक नहीं है; बल्कि यह उसके खिलाफ जाता है ।

(22) सुखदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय भी याचिकाकर्ता के लिए सरल कारणों से सहायक नहीं है कि नियम 26 (4) और 27 के साथ-साथ फॉर्म 4-ए और फॉर्म 4-बी के साथ पठित अधिनियम की धारा 176 उस मामले में विचाराधीन नहीं थी।

(23) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

शुबरीत कौर

---

[1] (2015) 3 एससीसी 467

[2] 2017 (2) पीएलआर 338, पी एंड एच

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा